न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 84 सन 2019

अनवान :–

1. दर्शनसिह पुत्र ठानसिह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर।

बनाम

1. महेन्द्रसिह 2 मन्दरपुरा 3 गुरदेवसिह उर्फ तेजासिह पि0 ठानसिह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. मगरसिह 5 बिकारसिह पि0 करतारसिह जाति जटसिख निवासी मुक्तसार तहसील फिरोजपुर
6. परमजीत 7 चरणजीतसिह पि0 चनणसिह जाति जटसिख निवासी मुक्तसर तहसील फिरोजपुर
8. बलजीतसिह पुत्र निरजनसिह जाति जटसिख निवासी मुक्तसर तहसील फिरोजपुर
9. बूटासिह पुत्र निरजनसिह जाति जटसिख निवासी मुक्तसार तहसील फिरोजपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20/02/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30 बीधा एवं साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीधा कुल 62.09 बीधा भूमि स्थित थी जिसके मोमन पुत्र बालाराम जाति जाट साकिन मेधाना खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीधा कुल 62.09 बीधा भूमि मोमन पुत्र बाला जाति जाट साकिन मेधाना ने दिनांक 7.06.1962 को प्रीतमसिह , थानासिह पि0 करपालसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब व निरजनसिह , चनणसिह पि0 हजुरसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर निवासी मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब एवं मगरसिह बीकरसिह पि0 करतारसिह जाति जटसिख साकिन गुरूसार को 1/3 हिस्सा बहिब बैय कर दी थी एवं समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया ।

रोही मौजा मेधाना के साबिका खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 164 की 32.09 बीधा कुल 62.09 बीधा भूमि गत पैमाईश में भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद कर दी गई इसप्रकार साबिका खसरा न0 से हाल खसरा न0 मे परिर्वतन कर रिकार्ड मे 12 बीधा कम दर्ज कर दी गई।

सत्यमेव जयते
Legal Copy Not Official

निरजनसिह व चनणसिह फोत हो चुके है एवं प्रीतमसिह व थानसिह का भी देहान्त हो गया है इनके हक हिस्सा की भूमि उनके विधिक उतराधिकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। जिन्होने खाता विभाजन कर लिया खसरा न0 339 की भूमि पांच भागों मे विभाजित करवा लिया एवं खसरा न0 339/1 की 2.9460हैक , खसरा न0 339/2 की 0.9660हैक में बुटासिह वल्द प्रीतमसिह 1/2 हिस्सा , दर्शनसिह महेन्द्रसिह गुरुदेवसिह उर्फ तेजासिह बहिब 1/3 हिस्सा व खसरा न0 339/3 की 2.9460हैक एवं खसरा न0 339/4 की 0.9670हैक भूमि में मगरसिह बिकरसिह पि0 करतारसिह के हिस्से में व खसरा न0 339/5 की 3.9240हैक भूमि परमजीतसिह , चरणजीतसिह पि0 चनणसिह बहिब 1/2 वजजीतसिह पुत्र निरजनसिह 1/2 हिस्सा भूमि आई ।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादभूमि जो की वादी की खरीदशुद्वा भूमि थी एव समस्त प्रतिफल देकर 62.09 बीधा भूमि खरीद की गई थी जबकि बादग्रस्त भूमि मौके पर आज दिनांक तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के 62.09 बीधा भूमि कब्जे में है तथा हाल खसरा न0 339 का एकल खेत है तथा जिसकी पैमाईश एवं काश्त की भूमि आज भी 62.09 बीधा है केवल मात्र पैमाईश यानि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि कम दर्ज कर दी गई है जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के खातेदार काश्तकार है।

राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्धक विभाग वादभूमि कम किये जाने का कोई अधिकार नही था केवल मात्र पूर्व की प्रविष्टियों को रिपिट करने का अधिकार नही था वादी के पूर्वजों के द्वारा खरीद की गई भूमि को पैमाईश के दोरान कम करने का कोई अधिकार भू0प्रबन्ध विभाग नही था इसलिये वाद अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के द्वारा खरीद की गई भूमि जो भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा कम करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है को संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 के खाता संख्या 79 में मोमन वल्द बाला जाति जटसिख के नाम साबिका खसरा न0 149 मीन व 164 मीन की 62.09 बीधा दर्ज है खरीद के सम्बध में वादी स्वय बैयनामा पेश करे एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीधा में पैमुद किया गया है एवं उक्त भूमि का खाता विभाजन होना स्वीकार है जो राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वर्तमान बन्दोबस्त रिकार्ड मे सही रूप से अभिलिखित किया गया है किसी खसरा विशेष के रकबा में बन्दोबस्त संक्रिया दौरान हुई कमी बेशी को साबिका खसरा से बने समसत हाल खसरा के राजस्व रिकार्ड का समूचित अवलोकन करने के बाद राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30 बीघा एवं साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीघा कुल 62.09 बीघा भूमि स्थित थी जिसके मोमन पुत्र बालाराम जाति जाट साकिन मेधाना खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीघा एवं साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीघा कुल 62.09 बीघा भूमि मोमन पुत्र बाला जाति जाट साकिन मेधाना ने दिनांक 7.06.1962 को प्रीतमसिह , थानासिह पि0 करपालसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब व निरजनसिह , चनणसिह पि0 हजुरसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर निवासी मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब एवं मगरसिह बीकरसिह पि0 करतारसिह जाति जटसिख साकिन गुरूसार को 1/3 हिस्सा बहिब बैय कर दी थी एवं समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया ।

रोही मौजा मेधाना के साबिका खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीघा एवं साबिका खसरा न0 164 की 32.09 बीघा कुल 62.09 बीघा भूमि गत पैमाईश में भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीघा में परिर्वतन एवं पैमुद कर दी गई इसप्रकार साबिका खसरा न0 से हाल खसरा न0 में परिवर्तन कर रिकार्ड में 12 बीघा कम दर्ज कर दी गई।

निरजनसिह व चनणसिह फोत हो चुके है एवं प्रीतमसिह व थानसिह का भी देहान्त हो गया है इनके हक हिस्सा की भूमि उनके विधिक उतराधिकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। जिन्होने खाता विभाजन कर लिया खसरा न0 339 की भूमि पांच भागों मे विभाजित करवा लिया एवं खसरा न0 339/1 की 2.9460हैक , खसरा न0 339/2 की 0.9660हैक में बुटासिह बल्द प्रीतमसिह 1/2 हिस्सा , दर्शनसिह महेन्द्रसिह गुरूदेवसिह उर्फ तेजासिह बहिब 1/3 हिस्सा व खसरा न0 339/3 की 2.9460हैक एवं खसरा न0 339/4 की 0.9670हैक भूमि में मगरसिह बिकरसिह पि0 करतारसिह के हिस्से में व खसरा न0 339/5 की 3.9240हैक भूमि परमजीतसिह , चरणजीतसिह पि0 चनणसिह बहिब 1/2 बजजीतसिह पुत्र निरजनसिह 1/2 हिस्सा भूमि आई ।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादभूमि जो की वादी की खरीदशुद्दा भूमि थी एवं समस्त प्रतिफल देकर 62.09 बीघा भूमि खरीद की गई थी जबकि बादग्रस्त भूमि मौके पर आज दिनांक तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के 62.09 बीघा भूमि कब्जे में है तथा हाल खसरा न0 339 का एकल खेत है तथा जिसकी पैमाईश एवं काश्त की भूमि आज भी 62.09 बीघा है केवल मात्र पैमाईश यानि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि कम दर्ज कर दी गई है जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के खातेदार काश्तकार है।अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2003 पेज 118 एव आरबीजे 2002 पेज 332 पेश किये।

राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्धक विभाग वादभूमि कम किये जाने का कोई अधिकार नही था केवल मात्र पूर्व की प्रविष्टियों को रिपिट करने का अधिकार नही था वादी के पूर्वजों के द्वारा खरीद की गई भूमि को पैमाईश के दोरान कम करने का कोई अधिकार भू0प्रबन्ध विभाग नही था इसलिये वाद अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 के खाता संख्या 79 में मोमन वल्द बाला जाति

Web Copy Not Official

जटसिख के नाम साबिका खसरा न0 149 मीन व 164 मीन की 62.09 बीधा दर्ज है खरीद के सम्बध में वादी स्वय बैयनामा पेश करे एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीधा में पैमुद किया गया है एवं उक्त भूमि का खाता विभाजन होना स्वीकार है जो राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वर्तमान बन्दोबस्त रिकार्ड में सही रूप से अभिलिखित किया गया है किसी खसरा विशेष के रकबा में बन्दोबस्त संक्रिया दौरान हुई कमी बेशी को साबिका खसरा से बने समस्त हाल खसरा के राजस्व रिकार्ड का समूचित अवलोकन करने के बाद राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2016 के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीधा, साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीधा कुल 62.09 बीधा भूमि मोमन वल्द बालाराम जाति जाट साकिन मेधाना खातेदार काश्तकार था जो जमाबन्दी /गिरदावरीयों से साबित है।

प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 की कुल 62.09 बीधा भूमि को मोमन वल्द बाला ने जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 07.06.1962 को प्रीतमसिह, थानासिह पि0 करपालसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब व निरजनसिह, चनणसिह पि0 हजुरसिह जाति जटसिख निवासी गुरूसर निवासी मुक्तसर को 1/3 हिस्सा बहिब एवं मगरसिह बीकरसिह पि0 करतारसिह जाति जटसिख साकिन गुरूसर को 1/3 हिस्सा बहिब बेय कर दी थी जो प्रस्तुत बैयनामा से पूर्णत्या साबित है।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश सम्वत 2029 से 2038 के दौरान बाद भूमि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन 30 बीधा एवं साबिका खसरा न0 164 मीन की 32.09 बीधा कुल 62.09 के हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीधा में परिवर्तन किया गया था जो प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

खरीददार निरजनसिह, चनणसिह एवं प्रीतमसिह व थानसिह सभी फोत हो चुके है जिनके जाजय वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव इनके वारिसान ने खाता विभाजन करवाने पर खसरा न0 339/1 की 2.9460हैक, खसरा न0 339/2 की 0.9660हैक में बुटासिह वल्द प्रीतमसिह 1/2 हिस्सा, दर्शनसिह महेन्द्रसिह गुरूदेवसिह उर्फ तेजासिह बहिब 1/3 हिस्सा व खसरा न0 339/3 की 2.9460हैक एवं खसरा न0 339/4 की 0.9670हैक भूमि में मगरसिह बिकरसिह पि0 करतारसिह के हिस्से में व खसरा न0 339/5 की 3.9240हैक भूमि परमजीतसिह, चरणजीतसिह पि0 चनणसिह बहिब 1/2 बजजीतसिह पुत्र निरजनसिह 1/2 हिस्सा प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है।

भू0प्रबन्ध विभाग को पैमाईश के दोरान साबिका खसरा नम्बर को हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन कर उसे उसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था अर्थात पूर्व खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन कर उसके काश्तकारों को पूर्व की भाँती हाल खसरों मे दर्ज किया जाकर हाल खसरा में भूमि दर्ज की जानी थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू0प्रबन्ध विभाग पैमाईश सम्वत 2029 से 2038 के दौरान पूर्व काश्तकारो की भूमि को साबिका खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बरान में परिर्वतन किया जाकर दर्ज किया जाना था किसी प्रकार की कमी बेसी नही की जा सकती थी यदि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बरान में परिर्वतन करते समय काश्तकारों के नाम व उनकी भूमि में किसी प्रकार का परिर्वतन कर दिया गया हो तो सम्बधित काश्तकार किसी भी समय उसे संशोधन करवा कर राजस्व रिकार्ड संशोधन करवा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 के साबिका खसरा न0 149 मीन की 30.00 बीधा व साबिका खसरा न0 164 मीन की 30.09 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 339 की 50.09 बीधा में पैमुद किया गया जो गलत है क्योकि भू0प्रबन्ध विभाग पूर्व खसरों की भूमि का हाल खसरो मे परिर्वतन कर उसके काश्तकारों व भूमि को यथावत दर्ज किया जाना चाहिये था सहवन से भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा काश्तकारों की 12.00 बीधा भूमि कम दर्ज की गई है जिसे संशोधन किया जा सकता है।

वादी के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2003 पेज 118 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि RAJASTHAN LAND REVENUE AET 1956 SECTION 136 Settlement Authorities have no power ti delete the Original entries and make new entries –

अर्थात भू0प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नही था की वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी प्रविष्ट को हटाये या किसी प्रकार का परिर्वतन किया जावे। अर्थात वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूर्णत्या चस्पा होते है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 मे मोमन के नाम 62.09 बीधा भूमि दर्ज थी जिसे वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने मोमन से दिनांक 07.06.1962 को जरिये बेयनामा खरीद की गई थी जो वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा कांश्त में चली आ रही है अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में 62.09 बीधा थी भू0प्रबन्ध विभाग पेमाईश से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को हाल खसरा नम्बरो में परिर्वतन कर पूर्व राजस्व रिकार्ड मे जितनी भूमि दर्ज थी उतनी भूमि ही हाल खसरा नम्बरान में दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बरान में परिर्वतन कर 12.00 बीधा भूमि सम्बधित काश्तकारों के नाम कम दर्ज की गई है

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पॅमाईश के दौरान साबिका खसरा नम्बरों से हाल खसरा नम्बरों में भूमि पैमुद करते समय यदि किसी काश्तकार का नाम भूमि गलत तौर से दर्ज कर दी गई है तो सम्बधित काश्तकार किसी भी समय साक्ष्य सबुतों के आधार पर संशोधन करवा पाने का अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य सबुतों के आधार पर पूर्णत्या साबित हो चुका है कि भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश के दौरा साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बरों में परिर्वतन करते समय काश्तकारों को नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु 12.09 बीधा भूमि पूर्व खसरा में दर्ज भूमि से कम दर्ज कर दी गई है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 संशोधित करवा पाने के अधिकारी है। पेरोकार राज के द्वारा भी ऐतराज पेश नही हुआ है राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है।

Copy - Not Official

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही होने के कारण वादी का वाद साबित होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 169 / 157 के खसरा न0 339 / 1 की 2.9460हैक की जगह 3.4520हैक व खसरा न0 339 / 2 की 0.9660हैक की जगह 1.4720हैक संशोधित की जाकर कुल 4.9240हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 1 / 2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 185 / 177 के खसरा न0 339 / 3 की 2.9460हैक की जगह 3.4520हैक , खसरा न0 339 / 4 की 1.9790हैक की जगह 1.4730हैक संशोधित की जाकर कुल 4.9250हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 145 / 135 के खसरा न0 339 / 5 / 1 की 3.9240हैक संशोधित की जाकर सयुक्त तौर से 1.0120हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब 1 / 2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है शेष खातेदार काश्तकारान का हक व हिस्सा यथावत रहेगा । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 2/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official